समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 20-03-2017 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि परीक्षा एवं त्योहार हो जाने के कारण लम्बे अवधि के पश्चात् सोमवारीय बैठक हो रही है। सभी पदाधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढ़ंग से किया गया है, जो अच्छी बात है, जिसके लिए धन्यवाद दिया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(3) लोक शिकायत निवारण :-

(क) जिला लोक शिकायत निवारण :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला शिक्षा कार्यालय, मधेपुरा में एक मामला लंबित है। जबकि विद्युत कार्यालय, मधेपुरा में 06 मामला लंबित है। इसी प्रकार सिंचाई विभाग में 01 मामला लंबित है तथा अग्रणी बैंक प्रबंधक के यहां 03 मामला लंबित है। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा बताया गया कि पूर्ण नोटिस प्राप्त नहीं हो पायी है, जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मामला किससे संबंधित है। इस संबंध में वाट्सएप पर प्रतिवेदन भेजा जाता है, जो काफी पन्ने का होता है तथा डाउनलोड करने में काफी समय लग जाता है, उनके द्वारा वांछित सूचना पूर्ण विवरणी के साथ ई-मेल के माध्यम से अथवा हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

यह भी बताया गया कि उप विकास आयुक्त के यहां 02, नगर परिषद्, मधेपुरा-02 तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा के यहां 02 मामला लंबित है। संबंधित पदाधिकारी से अनुरोध किया गया कि अविलम्ब निराकरण कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाए अन्यथा संबंधित पदाधिकारी को नियमानुसार जुर्माना लगाया जा सकता है।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि प्रथम अपील के तहत् बहुत सारे मामलें अधोहस्ताक्षरी के यहां प्राप्त हो जाता है, जबकि संबंधित लोक शिकायत निवारण कार्यालय से ही निस्पादन हो जाना चाहिए था, परन्तु अधिकांश मामलें वहां से स्थानांतरण कर दिया जाता है। निदेशित किया गया कि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि एक मामला एस0एफ0सी0 से संबंधित है, जिसमें वह उपस्थित नहीं हो पाये। जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0 द्वारा बताया गया कि उन्हें इस संबंध में कोई सूचना प्रतिवेदित नहीं हुई है, जिस कारण वह उपस्थित नहीं हो पाये। जिलाधिकारी द्वारा जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि संबंधित आई0टी0 सहायक को नियमानुसार 2,000/- (दो हजार) रू0 का जुर्माना लगाया जाए कि वाट्सएप /एस0एम0एस0

करने हेतु पूर्व निदेश दिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा सुनवाई में उपस्थित होने वाले लोक प्राधिकार को सूचित क्यों नहीं किया गया।

(ख) मधेपुरा अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कुमारखण्ड में 08, शंकरपुर-03, गम्हरिया-04 मामलें लंबित है। बताया गया कि गम्हरिया अंचलाधिकारी द्वारा सही ढ़ंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिस पर खेद प्रकट किया गया एवं निदेश दिया गया कि ससमय अनुपालन सुनिश्चित करें।

इसी प्रकार घैलाढ़-02 में मामलें पोखर के जमीन पर बसे रहने से संबंधित है। जबकि संबंधित बाल विकास परियोजना अन्तर्गत 05 मामलें है, जिसकी विस्तृत विवरणी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा को अनुपालन हेतु दिया गया है। बताया गया कि मधेपुरा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के यहां 01, कार्यक्रम पदाधिकारी, घैलाढ़-03 तथा कार्यक्रम पदाधिकारी, गम्हरिया के यहां भी मामला लंबित है। संबंधित पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि अविलम्ब इसका निराकरण कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें अन्यथा जुर्माना लगाया जा सकता है।

(ग) उदाकिशुनगंज लोक शिकायत निवारण :- बताया गया कि अंचलाधिकारी, ग्वालपाड़ा के यहां 01 मामला लंबित है, जो आपदा में मृत्यु हो जाने से संबंधित है, जिसका अनुदान राशि अभी तक नहीं दिया गया है। बताया गया कि बिजली गिरने के कारण मृत्यु हुई है। इस संबंध में बताया गया कि बिजली विभाग से आवंटन उपलब्ध हो जाने के उपरान्त मुआवजा दिया जाएगा।

यह भी बताया गया कि प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, पुरैनी के यहां 01 मामला प्रोत्साहन राशि से संबंधित है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

बताया गया कि चौसा अंचल में मोटरवोट से संबंधित एक मामला लंबित है। निदेश दिया गया कि संबंधित व्यक्ति से नाव का लॉग बूक प्राप्त कर ही नियमानुसार भुगतान की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

(4) ए0सी0 /डी0सी0 :-

- समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सिविल सर्जन, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, मधेपुरा /जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, मधेपुरा /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अवर निबंधक, मधेपुरा /अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा को विभिन्न पत्रांक /दिनांक के माध्यम से ए0सी0 /डी0सी0 विपत्रों के समायोजन हेतु निदेशित किया गया था, परन्तु मात्र निर्वाचन /शारीरिक शिक्षा/ आई0सी0डी0एस0 / निबंधन/ नगर परिषद्, मधेपुरा इस संबंध में वांछित सूचना उपलब्ध करायी गयी है, जबकि अन्य शेष पदाधिकारियों से प्रतिवेदन अप्राप्त है।

(क) आई0सी0डी0एस0 :-

समीक्षा के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 21 लाख समायोजन हेतु शेष है, जिसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के यहां लंबित है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा बताया गया कि पूर्व नाजीर अभी वर्तमान में जिला आपदा प्रबंधन में प्रतिनियुक्त है, फलस्वरूप प्रतिनियुक्ति हेतु कई बार अनुरोध भी किया गया है, ताकि उनके द्वारा यहां आकर अभिश्रव जमा कर समायोजन की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करें, परन्तु अभी तक उनके द्वारा इस संबंध में कोई अभिरूचि नहीं ली जा रही है। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि संबंधित कर्मी को सूचित करें एवं निदेशित करें कि यथानिदेशित अवधि में यदि उनके द्वारा संबंधित भाउचर नियमानुसार जमा नहीं किया जाता है, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करावें।

- जबकि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर, ग्वालपाड़ा, बिहारीगंज, मुरलीगंज एवं गम्हरिया के यहां राशि समायोजन हेतु लंबित है। संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि आज ही उक्त डी0सी0 विपत्र का समायोजन करना सुनिश्चित करें।

इसी प्रकार निबंधन, नगर परिषद् में शून्य डी0सी0 विपत्र की स्थिति पायी गयी। जबकि अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 25 लाख रू0 का डी0सी0 विपत्र समायोजन हेतु लंबित है, शीघ्र ही करा दिया जाएगा।

(ख) पंचायत :-

साथ ही जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी यथा मधेपुरा के यहां लगभग 17 लाख, सिंहेश्वर 02 लाख, शंकरपुर 03 लाख, घैलाढ़ 03 लाख, गम्हरिया 03 लाख, मुरलीगंज 16 लाख, कुमारखण्ड 5 लाख, ग्वालपाड़ा 03 लाख, बिहारीगंज 03 लाख, उदाकिशुनगंज 12 लाख, आलमनगर 14 लाख, चौसा 65 हजार, पुरैनी 9 लाख रू0 का डी0सी0 विपत्र लंबित है, जो वर्ष 2016 का पंचायत निर्वाचन से संबंधित है। संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आगामी सोमवारीय बैठक के पूर्व इसका समायोजन कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें।

(ग) राजस्व :-

जिलाधिकारी द्वारा राजस्व की समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व द्वारा बताया गया कि कुल 98 लाख रू0 लगभग डी0सी0 विपत्र का समायोजन हेतु विभिन्न अंचलाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी के यहां लंबित है, जिसमें अंचलाधिकारी, घैलाढ़-4 लाख, पुरैनी-15 लाख, चौसा-5 लाख, अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा-47 लाख रू0, भू-अर्जन पदाधिकारी के यहां 03 लाख, जिला परिषद्, मधेपुरा के यहां 7 लाख रू0 आदि का बिल लंबित है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि इसका समायोजन अविलम्ब करें तथा चेक लिस्ट समर्पित करें।

(घ) आपदा :-

आपदा प्रबंधन अन्तर्गत डी0सी0 विपत्र के संबंध में पाया गया कि 4 करोड़ रू0 लगभग राशि लंबित है, जिसमें कुमारखण्ड में कैशबूक संधारित नहीं है। संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि श्री निर्मल राम एवं श्री अखिलेश सिंह, पूर्व नाजीर के द्वारा उक्त मद में हुए व्यय का अभिश्रव /भाउचर अभी तक उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके कारण समायोजन नहीं हो पाया है। निदेश दिया गया कि संबंधित कर्मी को प्रतिनियुक्त करें एवं तीन दिनों के अंदर यदि डी0सी0 विपत्र संबंधी भाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करें। यह भी बताया गया कि तत्कालीन अंचलाधिकारी, कुमारखण्ड द्वारा इस संबंध में कोई अभिरूचि नहीं ली जा रही है। प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व को निदेशित किया गया कि इस संबंध में

संबंधित जिलाधिकारी को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्राचार किया जाए कि तत्कालीन अंचलाधिकारी को दो दिनों के लिए प्रतिनियुक्त किया जाए।

➢ इसी प्रकार अंचलाधिकारी, मधेपुरा के यहां 88 हजार, अंचलाधिकारी, आलमनगर के यहां 18 लाख रू0 वर्ष 2008 में आयी बाढ़ से हुई मृत्यु से संबंधित है। निदेश दिया गया कि संबंधित नाजीर को निदेशित करें एवं नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करावें।

➢ समीक्षा के क्रम में बताया गया कि शंकरपुर अंचलाधिकारी के यहां 3500, आलमनगर अंचलाधिकारी के यहां 40 लाख 28 हजार रू0 वर्ष 2012-13 का है, जो तत्कालीन नाजीर के द्वारा भाउचर नहीं दिये जाने के कारण लंबित है। इसी प्रकार चौसा अंचलाधिकारी के यहां 37 लाख रू0, पुरैनी में 40 लाख रू0 का डी0सी0 विपत्र आपदा से संबंधित लंबित है। संबंधित अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब समायोजन कर अनुपालन सुनिश्चित करें।

➢ बताया गया कि उत्पाद विभाग से संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा के यहां लगभग 30 लाख रू0 का डी0सी0 विपत्र समायोजन हेतु लंबित है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब समायोजन करें एवं अनुपालन से अवगत करावें।

(ड़) कृषि (डीजल अनुदान) :-

समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि वर्ष 2010-11 का डीजल अनुदान से संबंधित डी0सी0 विपत्र समायोजन हेतु लंबित है, जो अंचलाधिकारी, पुरैनी-7 लाख 88 हजार, मधेपुरा-42 हजार, ग्वालपाड़ा-90 हजार आदि अंचलाधिकारी के यहां है। संबंधित अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि ससमय समायोजन कराना सुनिश्चित करें।

➢ यह भी बताया गया कि वष्र 2014 में जो चक्रवात तूफान आया था, से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र राशि 3 करोड़ 58 लाख का है, जो अभी तक समायोजन नहीं हो पाया है। जबकि वर्ष 2015 में आलमनगर बाढ़ से संबंधित मामला है। अंचलाधिकारी, आलमनगर द्वारा बताया गया कि अभी तक उक्त मद में राशि प्राप्त नहीं हुई है। बताया गया कि उक्त मद में जैसे ही आवंटन प्राप्त हो जाएगा, तत्पश्चात् उपलब्ध करा दिया जाएगा।

➢ समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि यदि डी0सी0 विपत्र के समायोजन में किसी पदाधिकारी के द्वारा लापरवाही बरती जाती है, तो संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र-'क' गठित कर विभाग को भेजने का निदेश प्राप्त है, अतएव सभी संबंधित पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि अविलम्ब डी0सी0 विपत्र का समायोजन करें एवं अनुपालन से अवगत करावें।

(च) कल्याण :-

बताया गया कि वर्ष 2012-13 का लगभग 76 लाख रू0 का डी0सी0 विपत्र समायोजन हेतु लंबित है, जो लेखा योजना एवं शिक्षा से संबंधित है। संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब इसका समायोजन करें एवं अनुपालन से अवगत करावें।

(छ) कोषागार :-

सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि डी0सी0 विपत्र के समायोजन से संबंधित चेक लिस्ट कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को भी समर्पित करें।

(ज) पशुपालन :-

बताया गया कि 25 लाख रू0 का डी0सी0 विपत्र सामान्य शाखा में समायोजन हेतु लंबित है। प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य को निदेश दिया गया कि अविलम्ब समायोजन करें एवं अनुपालन से अवगत करावें।

(5) आपदा (अग्निकांड) :-

➢ समीक्षा के क्रम में बताया गया कि अगलगी की घटना से बचाव हेतु 07 स्थलों पर अग्निशामक वाहन उपलब्ध करा दिया गया है। बताया गया कि यदि अगलगी की घटना घटती है, तो तुरंत बगल के पम्पसेट से आग बुझाने का कार्य किया जाना है, साथ ही वाहन तुरंत संबंधित स्थल पर पहुंच जाना चाहिए। यदि इस संबंध में किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है, तो संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सभी अंचलाधिकारी को यह भी निदेशित किया गया कि नाव की सूची जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को सूची समर्पित करें। प्रभारी पदाधिकारी, आपदा को निदेशित किया गया कि सभी चालकों की सूची मोबाईल नम्बर सहित उपलब्ध करा दिया जाए।

(6) पेंशन :-

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पेंशन की विस्तृत विवरणी यथा- कुल लाभुकों की संख्या, कुल खाताधारी की संख्या, पी0एफ0एम0एस0 के बाद कितना लौटा है, की संख्या, कुल अपलोड किये गये डाटा की संख्या, कितना लॉक हुआ तथा कब तक शत-प्रतिशत लॉक होगा, के संबंधत प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा द्वारा निम्न प्रकार बताया गया :-

मधेपुरा में 12677 के विरूद्ध 12165 का खाता खुला है, जिसमें 12,112 अपलोड हुआ है तथा पी0एफ0एम0एस0 द्वारा 11,561 स्वीकृत है।

सिंहेश्वर में 7000 में से 5844 का इन्ट्री हुआ है, जिसमें शत-प्रतिशत लॉक हो गया है।

शंकरपुर में 4741 है, जिसमें 4471 का खाता खुला है, 4201 लॉक हो गया है तथा 62 अस्वीकृत हुआ है।

गम्हरिया में 6401 लाभुक है, जिसमें भौतिक सत्यापन किया गया है।

घैलाढ़ में 6418 इन्ट्री हुआ है, जबकि कुल 7200 है। बताया गया कि शेष इन्ट्री हो रहा है।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 24-03-2017 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंस में इसकी समीक्षा की जाएगी, फलस्वरूप यथानिदेशित विडियो कॉन्फ्रेंस के पूर्व शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।

यह भी निदेश दिया गया कि जो व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसे चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु सर्टिफिकेट केस दायर करें।

बताया गया कि मुरलीगंज में 9000 पेंशनधारी है, जिसमें 8500 का खाता खुला है, जबकि 7200 अपलोड हुआ है। शेष 3-4 दिन में पूर्ण हो जाएगा।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर द्वारा बताया गया कि अस्वीकृत होने के बावजूद भी राशि भेजा जा रहा है, जो नियमानुकूल नहीं है। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को निदेश दिया गया कि इसकी जांच करें एवं अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(7) कोशी पुनर्वास :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वर्तमान में कुछ प्रखण्ड द्वारा इस मद में राशि की मांग की गयी है। जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि उक्त राशि नये मकान /शौचालय हेतु है अथवा पूर्ण कराये गये शौचालय /मकान के लिए है, तो इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा

सकी। उप विकास आयुक्त से अनुरोध किया गया कि इसकी जांच करें एवं वस्तुस्थिति से अवगत करावें, ताकि अग्रतर कार्रवाई किया जा सके।

(8) स्वच्छ भारत मिशन :-

बताया गया कि इस सप्ताह में 10 वार्ड ओ0डी0एफ0 हुआ है, परन्तु भुगतान शत-प्रतिशत नहीं हो पाया है। बताया गया कि भुगतान की स्थिति शून्य है। ओ0डी0एफ0 होने के बाद भी भुगतान नहीं हो पा रहा है।

यह भी बताया गया कि चौसा पश्चिमी में दो वार्ड ओ0डी0एफ0 हो गया है, परन्तु भुगतान 301 लाभार्थी का किया जाना है, जो लंबित है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा द्वारा बताया गया कि उक्त मद में राशि प्राप्त नहीं हुई है, एडभाईस भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

गम्हरिया प्रखण्ड के बभनी पंचायत अन्तर्गत दो वार्ड, घैलाढ़ के झिटकिया पंचायत के 132 लाभुक, कुमारखण्ड प्रखण्ड के 316 लाभुक, मधेपुरा सुखासन के 1529 लाभुक, पुरैनी के 119, शंकरपुर गिद्धा के 113, सिंहेश्वर में 6 वार्ड के 1177, उदाकिशुनगंज के 5 वार्ड में 505 लाभुकों को भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि दिनांक 31-03-2017 के पूर्व नियमानुसार अविलम्ब भुगतान करें।

यह भी बताया गया कि इस सप्ताह में आलमनगर में 03, पुरैनी में 02, कुमारखण्ड में 02, गम्हरिया 04, सिंहेश्वर 01, बिहारीगंज 03, आलमनगर 05, उदाकिशुनगंज 03, घैलाढ़ के वार्ड नं0-09, मुरलीगंज के 02, शंकरपुर 05 ओ0डी0एफ0 होने की संभावना है। संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि समय-सीमा के अंदर शत-प्रतिशत वार्ड को ओ0डी0एफ0 कराना सुनिश्चित करें।

(9) नगर परिषद, मधेपुरा :-

बताया गया कि 435 लाभुकों को पैसा दिया गया है, जिसमें द्वितीय किस्त में 1326 में 1088 को प्रथम किस्त की राशि दे दी गयी है। दिनांक 31-03-2017 के पूर्व 200 लाभुकों का पूर्ण हो जाएगा। निदेश दिया गया कि शत-प्रतिशत लाभुकों का शौचालय पूर्ण करावें।

(10) नगर पंचायत, मुरलीगंज :-

इसी प्रकार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज द्वारा बताया गया कि 1258 को प्रथम किस्त दिया गया, जिसमें 400 में से 80 का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। जबकि अक्टूबर में ही प्रथम किस्त का पैसा दिया गया है। दिनांक 31-03-17 तक 500 लाभुकों के द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा। निदेश दिया गया कि शत-प्रतिशत लाभुकों का शौचालय पूर्ण करावें।

(11) इंदिरा आवास :-

उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि इसकी समीक्षा अपने स्तर से लगातार किया जाए, ताकि अपेक्षित प्रगति हो सके।

(12) शिक्षा :-

छात्रवृति :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 23 करोड़ 23 लाख रू0 का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें 19 करोड़ रू0 का विपत्र पास कराने हेतु कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा के यहां भेजा गया है। निदेश दिया गया कि नियमानुसार छात्रवृति का वितरण शीघ्र ही कराया जाए एवं अनुपालन से अवगत करावें।

(13) कल्याण :-

जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी। प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि आगामी बैठक में वांछित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचित करें।

(14) अल्पसंख्यक :-

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि प्रोत्साहन राशि संबंधित दो दिनों के अंदर चलान द्वारा जमा हो जाएगा। निदेश दिया गया कि ससमय अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(15) स्वास्थ्य :-

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सदर अस्पताल, मधेपुरा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड बंद पाया गया। साथ ही दवाई उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी। बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अधिक मात्रा में दवाई उपलब्ध रहती है, जबकि सदर अस्पताल में दवाई कम उपलब्ध रहना चिंता का विषय है। यह भी बताया गया कि तीन अतिरिक्त दवा काउन्टर खोलने का निदेश पूर्व में प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, डी0एच0एस0, मधेपुरा को दिया गया था, परन्तु इसका अनुपालन आज तक नहीं किया गया है, जो खेद का विषय है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, डी0एच0एस0, मधेपुरा द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं ली जा रही है एवं अस्पतालों का निरीक्षण उनके द्वारा नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। सिविल सर्जन, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(16) आधार कार्ड :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि आधार कार्ड बनाने की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। मधेपुरा गया कि मधेपुरा 550, कुमारखण्ड में 46 बना है, जबकि प्रतिदिन कम से कम 150 आधार कार्ड बनाये जाने हेतु पूर्व में संबंधित एजेंसी द्वारा बताया गया है। बताया गया कि कुल 19 सेन्टर लगाया जाना है। अधिक से अधिक व्यक्ति आधार केन्द्र पर उपस्थित होते हैं, परन्तु संबंधित एजेंसी द्वारा सही ढ़ंग से कार्य नहीं किया जा रहा है। मो0 हबीबुल्ला, तकनिशियन सहायक-सह- आधार कार्ड कर्मी को निदेशित किया गया कि प्रतिदिन एक प्रखण्ड का भ्रमण करें एवं संबंधित एजेंसी को अधिक से अधिक आधार कार्ड बनाने हेतु निदेशित करें एवं प्रतिदिन संध्या में प्रतिवेदन समर्पित करें कि किस-किस प्रखण्ड में उनके द्वारा भ्रमण किया गया एवं कितना आधार कार्ड प्रतिदिन बनाया गया। साथ ही सभी प्रखण्डों का वाट्सएप ग्रुप बनाने का निदेश दिया गया।

(17) "पढ़ो मधेपुरा"

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 02-04-2017 से 30-04-2017 तक एक कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, जो पढ़ो मधेपुरा के तहत् प्रत्येक बच्चों को विद्यालय भेजने से संबंधित होगा, जिसमें एक भी बच्चा विद्यालय जाने से वंचित न रह पाये।

(18) विद्युत परियोजना :-

(क) गांव का विद्युतीकरण :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 223 गांव में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है, जबकि 10 गांव में विद्युतीकरण का कार्य शेष बचा हुआ है। गेहूँ की फसल होने के कारण कार्य में समस्या उत्पन्न हो रही है, फिर भी दिनांक 31-03-2017 के पूर्व

शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य करा दिया जाएगा। निदेश दिया गया कि ससमय कार्य पूर्ण करावें।

यह भी बताया गया कि शंकरपुर प्रखण्ड के मौरा कबियाही में एक गांव, कुमारखण्ड प्रखण्ड अन्तर्गत 03 गांव, चौसा प्रखण्ड अन्तर्गत 06 गांव में विद्युतीकरण का कार्य बांकि है, जबकि अन्य सभी जगह विद्युतीकरण हो गया है।

(ख) बी0पी0एल0 कनेक्शन :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कुल 57,365 बी0पी0एल0 कनेक्शन हो गया है। नोडल पदाधिकारी, विद्युत को निदेश दिया गया कि आज ही सभी संबंधित अभियंता को अपने स्तर से बुलाकर इसकी समीक्षा करें। ए0पी0एल0 कनेक्शन हेतु गम्हरिया प्रखण्ड को चिन्हित किया गया है, जिसमें संबधित एजेंसी द्वारा अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि संबंधित एजेंसी को बुलाकर अविलम्ब नियमानुसार कार्य प्रारंभ कराया जाए।

(19) हर घर नल का जल :-

समीक्षा के क्रम में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में पूर्व में निकाली गयी निविदा रद्द हो गया है, जबकि पूरे क्षेत्र में पाईप बिछा दिया गया है। पुनः निविदा निकालने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(20) बस स्टैण्ड :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि बस स्टैण्ड निर्माण का कार्य प्रारंभ है। निदेश दिया गया कि शीघ्र ही निर्माण कार्य पूर्ण करावें।

(21) डी0आर0सी0सी0 :-

प्रबंधक, डी0आर0सी0सी0 द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार की समस्या नहीं है। प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि ससमय सत्यापन का कार्य पूर्ण करावें।

(22) अधिप्राप्ति :-

बताया गया कि कुल 05 पैक्सों का निरीक्षण किया गया है, जबकि कुल-145 का किया जाना था। जिलाधिकारी द्वारा खेद प्रकट किया गया कि मात्र 05 पैक्स का ही क्यों निरीक्षण किया गया, जबकि शत-प्रतिशत निरीक्षण किये जाने का निदेश दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि कितना धान खरीदा जाना था तथा कितना धान खरीद हुआ है, की जांच प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस आशय का आदेश पत्र अधोहस्ताक्षरी के स्तर से निर्गत करवाने का निदेश दिया गया। रहेंगे।
जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भुगतान ससमय किया जा रहा है।

(23) एस0एफ0सी0, मधेपुरा :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 833 एस0आई0ओ0 का वितरण हो चुका है। दिनांक 22-23 मार्च, 2017 तक शत-प्रतिशत हो जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा को निदेश दिया गय कि दिनांक 24-03-2017 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित है, फलस्वरूप उक्त तिथि तक माह-मार्च, 2017 का पूर्ण उठाव हो जाए, इसे हरहाल में सुनिश्चित करेंगे।

(24) सामान्य :-

समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी, लोकायुक्त -सह- सामान्य शाखा को निदेशित किया गया कि लोकायुक्त के जितने भी मामलें हैं, के संबंध में अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा अनुपालन से अवगत करावें।

(25) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कुल-09 कब्रिस्तान घेराबंदी तथा कुल 09 मंदिर के चहारदिवारी का कार्य प्रारंभ हैं, जिसमें घैलाढ़ के महुआ में हुआ है। बताया गया कि कुमारखण्ड में एक पुराना मामला कब्रिस्तान घेराबंदी से संबंधित है, के आलोक में अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। यह भी बताया गया कि शंकरपुर में एक व्यक्ति द्वारा भूमि दान किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त व्यक्ति को बिहार दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। यह भी बताया गया कि कुल 09 कब्रिस्तान में से 04 तथा कुल 09 मंदिर में से 02 का चहारदिवारी निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है।

(26) पी0एच0ई0डी0 :-

कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मिनी जलापूर्ति के लिए सभी अंचलाधिकारी को पत्र भेजा गया है, जिसमें आवश्यकतानुसार जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि मिनी जलापूर्ति अधिष्ठापित किया जा सके। निदेश दिया गया कि अविलम्ब अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(27) औषधि निरीक्षक, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज :-

समीक्षा के क्रम में औषधि निरीक्षक, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मधेपुरा में इस सप्ताह में 03 दुकानों का निरीक्षण किया गया है। साथ ही सिंहेश्वर में निरीक्षण के क्रम में प्रतिबंधित दवाई के बिक्री होने संबंधी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। निदेश दिया गया कि नियमित रूप से जांच करें, वैसे दुकानों की भी जांच करें, जो बिना निबंधित हो तथा दुरस्थ इलाके में हो।

(28) गव्य विकास :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कुल 30 व्यक्तियों को मुख्यमंत्री संस्थाल सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत् लाभ दिया जाना है। निदेश दिया गया कि दिनांक 28-03-2017 को संबंधित लाभुक को नियमानुसार चेक वितरण कराने हेतु अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(29) नाबार्ड :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि प्रबंधक, नाबार्ड को निदेशित किया गया कि प्रत्येक सोमवारीय बैठक में अचूक रूप से भाग लिया जाए, ताकि नबार्ड कार्यो की समीक्षा की जा सके। साथ ही नाबार्ड कार्यक्रम अन्तर्गत जो योजना तैयार किया जा रहा है, उसमें सभी पंचायत प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाए तथा व्यापक प्रचार-प्रसार करावें, ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो सके।

(30) एन0एच0 :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सिंहेश्वर में बुढ़ावे के पास पेट्रोल पम्प खोलने का मामला लंबित है, जो तत्कालीन अंचलाधिकारी द्वारा इस संबंध में जांच-पड़ताल किया गया था, उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई किया जाए। अंचलाधिकारी, सिंहेश्वर को निदेशित किया गया कि अविलम्ब अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(31) विद्युत विपत्र :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पी0एच0ई0डी0, नगर परिषद्, नलकूप, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर, पंचायत कार्यालय, मधेपुरा आदि के यहां काफी विद्युत विपत्र की राशि लंबित है। संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अविलम्ब नियमानुसार भुगतान किया जाए। इसी प्रकार जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि अल्पसंख्यक छात्रावास का बिल सुधार करने हेतु कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति के यहां कई दिनों पूर्व भेजा गया है, परन्तु अभी तक सुधार नहीं हो पाया है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि अविलम्ब सुधार करावें।

(32) बिहार दिवस :-

समीक्षा के क्रम में सभी प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी /जिला स्तरीय पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि दिनांक 22-03-2017 को बिहार दिवस के अवसर पर सभी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कराया जाए।

(33) आई0सी0डी0एस0 :-

समीक्षा के क्रम में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 10-12 जगह पर आंगनवाड़ी सेविका /सहायिका की बहाली हेतु मामला लंबित है। निदेश दिया गया कि विवादित जगहों के लिए अविलम्ब संचिका उपस्थापित करें तथा आम सभा आयोजित कराने हेतु प्रखण्ड परिसर /अनुमण्डल परिसर अथवा जिला मुख्यालय में कराने हेतु चिन्हित करें। किसी भी परिस्थिति में चयन प्रक्रिया बाधित नहीं हो, इसे हरहाल में सुनिश्चित करें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Ram 22/3/17 — निजी सहायक, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा। Khalid 22/03/17

22/3/17 — प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।

जिलाधिकारी, मधेपुरा। 22/3/17

ज्ञापांक 728 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 23/03/2017

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /डी0पी0एम0, जीविका, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /डी0आई0ओ0, मधेपुरा /सहायक नियंत्रक, माप एवं तौल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एम0डी0एम0, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, डूडा, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, एन0एच0 प्रमण्डल, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मधेपुरा

/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /नगर पंचायत, मुरलीगंज /जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज /राघोपुर एवं लघु जल संसाधन, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम, मधेपुरा /सहरसा /जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निजी सहायक,	प्रभारी पदाधिकारी	जिलाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	मधेपुरा।

Khalid 22/03/17